

परिशिष्ट  
(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1  
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।  
जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 5.00 कि०मी०
  - ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।  
पट्टावली में संलग्न है
  - ग) परियोजना की लागत।  
42.48 लाख
  - घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।  
इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक स्थान निरस्त किये गये।
  - ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)  
लागू नहीं
  - च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।  
कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

वन पंचायत भूमि	—	1.147 है०
आरक्षित वन भूमि	—	2.295 है०
नाप भूमि	—	1.058 है०
<b>कुल भूमि</b>	<b>—</b>	<b>4.500 है०</b>
  3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है  
किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।
    - क) परिवारों की संख्या  
शून्य
    - ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या  
शून्य
    - ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)  
लागू नहीं है।
  4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)  
नहीं


5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक.....17/4/18

स्थान.....बल्लोडा

  
(इं० हरीश चन्द्र पाण्डे)  
**अधिसूची अधिसूचना;**  
**प्रांतीय दण्ड, लोनिनि. वि.**  
**बल्लोडा.**

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)